पत्रांक 1प्रा0आ0-06/2010 ..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन योजना

प्रेषक,

रमेश चन्द्र सिंह,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

पटना-15, दिनांक-

विषय: **दिनांक 16.02.2011 को हुए ओलावृष्टि /चक्रवात से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का फोटो विलोपित हो जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 155-2 दिनांक 07.02.2012 के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि जिन-जिन पंचायतों के लाभुकों के फोटो विलोपित हो गये हैं उन पंचायतों के चक्रवात प्रभावितों से आवेदन प्राप्त कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम (जिसमें अन्य सदस्य वरीय उप समाहर्त्ता स्तर के होंगे) द्वारा तथ्यों की जांच कराकर सहाय्य वितरण हेतु सूची बनायी जा सकती है। आवेदन प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से एक निश्चित तिथि, यथा 15 अप्रैल 2012, तय की जा सकती है। तदुपरांत निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत जांच सम्पन्न कर अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।

2. इसमें विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रमेश चन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

FAX

ज्ञापांक.......865......./आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 20/3/12

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/3/12
संयुक्त सचिव

D:\2012\Draft\विलोपित फोटो.docx